न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीराम जी भाई कलबी आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 08/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/15

प्रार्थीगण

1. हरि कृष्ण राठी पुत्र जसराज राठी निवासी ग्राम राजाबंध बिराई हाल निवासी गोकुल विहार शिवलाल माथुर नगर अरिहन्त नगर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जेठूसिंह उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 26/3/24

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

मौजा राजाबंध पटवार क्षेत्र देवगढ, तहसील बालेसर जिला जोधपर के खसरा नम्बर 100 रकबा 4.5487 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है जिसमे प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा निहित है व मौके पर काबिज काश्त करते आ रहे है। राजस्व रेकर्ड मे तत्कालीन समय मे प्रार्थी का नाम हरिकिशन पुत्र जसराज लिख दिया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तव मे सही नाम हरि कृष्ण राठी पुत्र जसराज राठी है। इसी नाम से प्रार्थी के सभी दस्तावेज है जिसमे प्रार्थी का सही नाम हरिकृष्ण राठी पुत्र जसराज राठी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे हरीकिशन पुत्र जसराज के स्थान पर हरिकृष्ण राठी पुत्र जसराज राठी दर्ज करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के संलग्न हल्का पटवारी देवगढ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमे अंकित किया गया है कि ग्राम राजाबंध के खसरा नम्बर 100 की वर्तमान जमाबन्दी अनुसार जमाबन्दी मे प्रार्थी क नाम हरीकिशन पुत्र जसराज 1/5 जाति महाजन सा. देह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के जनआधार, आधार कार्ड, बैक डायरी आदि सभी दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम हरिकृष्ण राठी पुत्र जसराज राठी दर्ज है। प्रार्थी को गांव/समाज/परिवार मे हरिकृष्ण राठी पुत्र जसराज राठी के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस की गई बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शुद्वि के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न पहचान दस्तावेजो, सहखातेदार श्री रामदयाल के शपथ पत्र एवं अप्रार्थी (राजकीय पेरोकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्व करने में प्रार्थी अधिवक्ता सफल रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:55:04 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मौजा राजाबंध पटवार क्षेत्र देवगढ, तहसील बालेसर जिला जोधपर के खसरा नम्बर 100 रकबा 4.5487 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हरीकिशन पुत्र जसराज के स्थान पर हरिकृष्ण राठी पुत्र जसराज राठी नाम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरों में प्रार्थी का नाम शुद्ध करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 26/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(रामजी भाई कलबी)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:55:04 IST
Reason: SelfAttested